

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम— ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)— ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति।

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)— B2.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

आवधारणा: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में "ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति" के गठन की अवधारणा है जो संबंधित पंचायत की देख-रेख में संचालित किये जाएंगे। जिसमें राजस्व ग्राम के सभी टोलों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण स्तर पर जनस्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पर्यावरण रख-रखाव को भी सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य— पंचायत को प्रतिवर्ष प्रत्येक राजस्व ग्राम के आधार पर Untied Fund उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग राजस्व ग्राम के नागरिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधि में करेंगे।

संरचना— ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) को पंचायती राज के अन्तर्गत गठित "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति" (PHFWRSC) के द्वारा Co-opt कर लिया गया है। इसकी संरचना पंचायत विभाग के "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति (PHFWRSC) के नियमानुकूल है। यदि पंचायत के स्तर पर समिति का गठन नहीं किया गया है तो समिति का गठन पंचायती राज के पत्र के आलोक में पंचायत स्तर पर "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति (PHFWRSC) का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य पंचायत के चयनित सदस्य होंगे इन चयनित सदस्यों में से एक आम सहमति/बहुमत से अध्यक्ष नामित होंगे। इस समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या 5 होगी एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय ए.एन.एम सचिव के रूप में कार्य करेंगी।

प्रत्येक राजस्व ग्राम के स्तर पर एक "निगरानी समिति" का गठन किया जायेगा। समिति के सदस्य ग्रामीण स्तर पर गठित किये जानेवाले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्य होंगे जो निम्नवत्तः—

- 1- ग्राम पंचायत के मनोनित सदस्य— वार्ड कमिश्नर।
- 2- आशा
- 3- आंगनवाड़ी सेविका
- 4- स्वयं सहायता समूह के नेता

निगरानी समिति का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि उस राजस्व ग्राम के लिए आवंटित Untied Fund उसी गांव के उन्नयन (Development) कार्य हेतु खर्च किया जाए।

प्रक्रिया (वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि की उपयोगिता)—

- वित्तीय वर्ष 2012-13 में "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति-सह-ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के अन्तर्गत प्रत्येक जिला को प्रति राजस्व ग्राम के लिए 10,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी, इस राशि की उपयोगिता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रति राजस्व ग्राम के लिए 6018 रुपये की दर से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे संबंधित "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति-सह-ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के बैंक खाता में प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए 6018/-रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जानी है।

10/12/13

Ranjana

ईकाई राशि:

- @Rs. 6018/- प्रति राजस्व ग्राम प्रतिवर्ष।
- जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने के आधार पर माह अक्टूबर, 2013 में "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति-सह-ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति" के लिए इस मद के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की मांग कि जा सकती है।

VHSC Fund की उपयोगिता हेतु वित्तीय दिशा निर्देशन

1. आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस-VHSND में चिकित्सक की सेवा प्राप्त करने हेतु एवं इस कार्य में होनेवाले व्यय के लिए किया जायेगा। निजी योग्य चिकित्सकों को अधिकतम 500/-रूपये प्रति ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस-VHSND में आकर ग्रामीणों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु देय होगा।
2. आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस-VHSND में लाभार्थी तथा सेवा प्रदाता के बैठने के लिए कुर्सी, टेबुल, बैंच, दरी एवं अन्य आवश्यक सामग्री के लिए आवश्यक हो तो अधिकतम 100 रूपये प्रति ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस-VHSND प्रति माह के दर से राशि खर्च की जा सकती है।
3. आंगनवाड़ी केन्द्र पर ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस-VHSND के आयोजन के एक दिन पूर्व सेवा क्षेत्र में सामुदाय को उक्त तिथि उक्त समय तथा उक्त स्थल पर प्रदान कि जाने वाली सेवाओं के बारे में सुचित करने के लिए ढोल पिटवाना अथवा माइकिंग करने की आवश्यकता है। ताकि लोगों में इस कार्यक्रम की उपयोगिता की जानकारी हो तथा इससे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके।
4. ग्राम स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की गतिविधि, स्वच्छता अभियान, पोषाहार एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए खर्च किये जा सकते हैं।
5. इस राशि का उपयोग उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों में भी किया जा सकता है। जैसे ग्राम स्तरीय सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, विद्यालयों में स्वास्थ्य अभियान, आंगनवाड़ी स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान या जरूरत के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र पर सामानों की उपलब्धता कराने में, घरेलू सर्वेक्षण, जीवाणु जनित रोग की रोकथाम में, आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त करने में, आई.ई.सी. से संबंधित नोटिस/प्रचार प्रसार सामग्री की छपाई आदि में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस राशि का उपयोग अपवाद स्वरूप निम्नलिखित स्थिति में भी की जा सकती है। जैसे जरूरत के समय जरूरतमंद घरों को राशि की उपलब्धता करायी जा सकती है जिसे वह पुनः किस्तों में वापस कर देंगे। ताकि उक्त परिवार/व्यक्ति के जरूरत को पूरा किया जा सके।

सभी ग्रामीण इस चीज के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अनुदान की राशि इस समिति को दे सकें अर्थात् उक्त समिति अन्य स्रोत से अनुदान लेने के लिए स्वतंत्र है।

वित्तीय रख-रखाव

राशि उपयोग करने के तरीके:-

6018/-रूपये राजस्व ग्राम की दर से राशि के उपयोग की जवाबदेही पंचायत स्तर पर गठित "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति को होगी। इस राशि से संबंधित निम्नलिखित बिन्दु आवश्यक है:-

- इस राशि को साधारणतया जिला स्वास्थ्य समिति उक्त पंचायत के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम (प्रति राजस्व ग्राम 6018 रूपये की दर से) के आधार पर सीधे VHSNC के Bank Account में Transfer कर सकती है साथ ही इसकी सूचना संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भी दी जायेगी। वहीं UC/SoE प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

13/7/13

13/7/13

- ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति अपने स्तर पर लेखा संधारण हेतु रजिस्टर रखेगी जिसमें कैश एवं चेक से संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण होगा। जिसे इस समिति के सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा साप्ताहिक/मासिक रूप से प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जायेगा। **अनुलग्नक -2(Bank Register)**
- ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति जरूरत के अनुसार ही बैंक से राशि निकालेगी। किसी भी परिस्थिति में समिति अपने पास Day to Day खर्च के लिए 1000/-रूपये से अधिक की राशि नहीं रख सकती है। **अनुलग्नक -1(Petty Cash Book)**
- समिति सभी प्रकार के बिल का भुगतान अच्छे तरीके से छानबीन कर करेगी एवं भुगतान के बाद उस विपत्र पर Paid & cancelled लिखकर हस्ताक्षरित करेगी। जिसमें प्रखण्ड लेखापाल समिति को आवश्यक मदद करेगा।
- समिति मासिक रूप से अपने बैंक खाता का पासबुक Update करायेगी। जिसे प्रखण्ड लेखापाल द्वारा मासिक रूप से समिति के कैश एवं चेक रजिस्टर से मिलाकर Bank reconciliation Statement बनायेगा साथ ही लेखा संधारण से संबंधित अपनी टिप्पणी उस रजिस्टर में देगे जिसके उपरान्त समिति आवश्यक सुधार करेगी तथा अगले माह में पुनः प्रखण्ड लेखापाल के द्वारा सत्यापित करायेगी। इस कार्य को कराने की जिम्मेवारी संबंधित VHSNC के ए.एन.एम. की होगी।
- समिति के सभी संचिका, चेक बुक एवं विपत्र को सुरक्षित रखने का अधिकार इस समिति की सचिव ए.एन.एम. के पास होगा।
- ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति अपने स्तर पर एक और रजिस्टर का संधारण करेगी जिसमें मासिक बैठक में सम्मिलित व्यक्ति एवं इसमें लिए गये निर्णय का विवरण होगा जिसे इस समिति के सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित होगा।
- पंचायत स्तर पर गठित "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति-सह-ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुरूप राशि व्यय करने के लिए सक्षम होंगे। राशि व्यय करने का निर्णय समिति के द्वारा आहूत बैठक में किया जाएगा।
- राशि को बैंक खाते से निकासी समिति में अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इसके लिए एक पंजी सचिव के द्वारा संधारित की जाएगी जिसमें उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुसार किये गये कार्यों का राजस्व ग्राम के आधार पर ब्योरा (व्यय के साथ) दर्शाया जाएगा जिस पर समिति के अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर होगा। व्यय की गयी राशि (SoE) का विपत्र एक गार्ड फाईल में सचिव के द्वारा संधारित की जाएगी। जिसे जरूरत के अनुसार सार्वजनिक जहाँ के लिए उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- जहाँ तक उपयोग की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) का प्रश्न है समिति द्वारा मासिक रूप से राजस्व ग्राम के अनुसार किये गये खर्च को सिर्फ समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजी जाएगी यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ कोई भी विपत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी का दायित्व होगा कि समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र को संकलित कर विहित प्रपत्र में जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेगी।
- ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति SoE एवं UC बनाने के लिए **अनुलग्नक 3** एवं **अनुलग्नक 4** का उपयोग किया जा सकता है।

आशातीत परिणाम- "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति (PHFWRSC) एक स्वतंत्र समिति होगी जो प्राथमिकता के आधार पर आशातीत

13/7/13

hit

परिणाम का निर्णय ले सकती है। उम्मीद की जाती है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर यह समिति आशातीत परिणाम दे सकेगी।

1. ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस- VHSND आयोजित कराना एवं उसमें चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित करना।
2. माता एवं शिशु का शत-प्रतिशत टीकाकरण।
3. लेखा संधारण एवं ससमय खर्च की विवरणी उपलब्ध कराना।
4. शत-प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराना।
5. ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाना।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 24613, Dated 15.03.11 (ख) 11336, Dated 24.07.09 (ग) 11337 Dated 24.07.09,
(घ) 11897, Dated 08.09.09, (ङ) 12889, Dated 10.11.09, (च) 15911, Dated 26.04.10,
(छ) 9087, Dated 03.02.2009 (ज) 9219, Dated 21.02.2009

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम- श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर- 9470003025

अनुलग्नक -1

Format of Columnar Petty Cash Book

नकद राशि से संबंधित प्रपत्र

Date दिनांक	S. N o क्र म सं ख या I	Particulars (including Party name, activity head, etc.) विवरण (गतिविधियों का नाम)	Receipts (A) प्राप्त राशि	Total Expenditure (B) कुल व्यय राशि	Village level Public health activity (cleanli ness drive etc) ग्राम स्तरीय लोक स्वास्थ्य गतिविधियाँ	Revolving fund for households घरों के लिए आवर्ति निधि	Nutrition पोषाहार	Education & Sanitation शिक्षा एवं स्वच्छता	other Expenses अन्य खर्च	Daily Balance (A-B) दैनिक शेष

Signature of VHSC
Secretary

Signature of VHSC
Chairman

अनुलग्नक -2

Format of Bank Register

बैंक रजिस्टर का प्रपत्र

Receipt (प्राप्ती)				Payment (भुगतान)			
Date (दिनांक)	Particulars (राशि प्राप्ती का विवरण)	S.No (क्रम संख्या)	Amount (Rs.) राशि रुपये में	Date (दिनांक)	Particulars (भुगतान की गई राशि का विवरण)	S.No (क्रम संख्या)	Amount (Rs.) राशि रुपये में
	VHSC untied Fund (VHSC के अनटाईड फंड)				Cash Withdrawal (नकद आहरण)		
	Cash Deposit (नकद जमा)				Payment for (जिस गतिविधि के लिए भुगतान किया गया उसका विवरण)		
	Interest Received (प्राप्त व्याज)						
	Monthly Total (A) मासिक योग				Monthly Total (B) मासिक योग		
Balance (A-B) शेष =							
S.No. Serial Number of the Invoice/ Voucher (रसीद की क्रम संख्या)							

Signature of VHSC
Secretary

Signature of VHSC
Chairman

अनुलग्नक -3

Format of SoE Reporting from VHSC
VHSC व्यय विवरणी प्रपत्र

		A	B	C	D=(B+C)	E	F	G=(E+F)	H=(A+D+-G)
S.No (क्रम संख्या)	Activity (गतिविधि)	Opening Balance (Beginning of the FY) (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध राशि)	Amount Received (in current FY) Till the previous Month (चालु वित्तीय वर्ष में गत माह तक कुल प्राप्त राशि)	Amount Received During the month (प्रतिवेदित माह में कुल प्राप्त राशि)	Total Amount Received (in current FY) Till Date (चालु वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्त राशि)	Expenditure (in current FY) Till the Previous Month (चालु वित्तीय वर्ष के गत माह तक किये गये व्यय का विवरण)	Expenditure During the Month (प्रतिवेदित माह में खर्च)	Total Expenditure (In current FY) Till date चालु वित्तीय वर्ष में अब तक किये गये कुल व्यय का विवरण)	Unspent Balance (शेष राशि)
	Untied Fund of VHSC (VHSC के अनटाईड फंड)								

Signature of VHSC
Secretary

Signature of VHSC
Chairman

अनुलग्नक -4

Format of UC Reporting
उपयोगिता प्रमाण का प्रपत्र

Sanction Letter No. and Date (स्वीकृति पत्र संख्या एवं दिनांक)	Opening Balance (कुल उपलब्ध प्रारम्भिक राशि)	Funds received in Current Year (चालु वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्त राशि)	Expenditure in Current Year (चालु वित्तीय वर्ष में किये गये व्यय का विवरण)	Balance (शेष राशि)
(Please give here details of Sanction Letters) 1. 2. 3.				

Signature of VHSC
Secretary

Signature of VHSC
Chairman

FMR Code - B 2.4

13/7/13